MOST URGENT
VIDHAN SABHA MATTER
BY SPECIAL MESSENGER

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF INDUSTRIES
UDYOG SADAN, PLOT NO. - 419, FIE PATPARGANJ
INDUSTRIAL AREA, DELHI-110 092.

No F. DCI/QC/VS221/2017/362 Dated:08.08.2017

The Deputy Secretary (Question Cell),
Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat,
Delhi-110054

Sub : Vidhansabha admitted Unstarred Question No. 221 raised Sh. Rajesh Rishi, MLA to be answered on 10.08.2017.

Please find enclosed herewith 100 photocopies of the reply on the aforesaid matter along with one additional ink signed copy and soft copy of the answer in PDF further action at your end.

Enclosure : As above

Yours faithfully,

(SUNITA)
Deputy Commissioner of Industries (Question Cell)
Phone No. 22157026
comind@nic.in

Copy to :
The Deputy Director,
Directorate of Information & Publicity,
Block No. IX Old Secretariat,
Delhi-110054

Please find enclosed herewith 150 copies of the reply of the aforesaid Question for further action at your end.

विभाग का नाम : कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता : कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन , 419 औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज दिल्ली –92

अतारांकित प्रश्न संख्या : 221
दिनांक : 10/08/2017
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री राजेश ऋषि

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

प्र.सं0	प्रश्न	उत्तर
क	जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के कितने उद्योग चलाने वालों को बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट अलोट किये गये ;	जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र से 83 उद्योगों को चलाने हेतु बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट अल्लोट किये गये ।
ख	उनमें से कितने आबंटी अपना उद्योग वहॉ ट्रांसफर कर चुके हैं;	83 आबंटित प्लॉटों में से 40 आबंटियों ने अपने उद्योग ट्रांसफर कर लिए हैं ।
ग	क्या यह भी सत्य है कि बवाना औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट फ्री होल्ड हो गए हैं ;	जी नहीं क्योंकि फ्री होल्डं स्कीम रिलोकेशन के अंतर्गत आबंटित प्लॉट एवं फ्लैटिड फैक्ट्रीज पर लागू नहीं होती।
घ	क्या यह भी सत्य है कि, इनमें से बहुत से लोगों ने अपने प्लॉट बेच दिये हैं , किराये पर दे दिये हैं या आवासीय इलाके में अपना उद्योग चला रहे है ;	इस तरह के अवैद्य कय –विकय करने के निम्नलिखित दो केस शिकायत के माध्यम से इस कार्यालय के नोटिस में आये है, जिनमें आबंटन एवं लीज के शर्तो के अनुसार आबंटन रद्द करने की कार्रवाई की जा चुकी / रही है। 1. प्लॉट नं. जे --282/ओ /3/250 वर्गमी. /बवाना (आवेदन सं0 57061) 2. प्लॉट नं. 246/आई /5/150 वर्गमी. /बवाना (आवेदन सं0 39587)
ड़	क्या यह कानूनन वैद्य है ;	जी नहीं , यह अवैद्य है।
च	यदि नही तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है ;	वही, जैसा की प्रश्न सं0 घ के उत्तर में वर्णित है।
छ	क्या यह भी सत्य है कि औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग के लिये दिये गये प्लॉट्स पर मैरिज हॉल बनाये जा रहे हैं ;	मास्टर प्लान 2021 के चैप्टर – 7 में कराये गये संशोधन के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में 24 मी0 रास्ते या उससे अधिक चौड़े रास्ते से सटे हुये प्लॉटो पर बैंकेट हॉल बनाये जा सकते हैं। इस हेतु प्लाट मालिकों को प्लाटो का औद्योगिक इस्तेमाल से व्यवसायिक इस्तेमाल/उपयोग के लिये परिवर्तित राशि जमा करानी पड़ती है जोकि सरकार समय–समय पर निर्धारित करती है।
ज	यदि हॉ, तो यह अनुमति किस आधार पर दी जाती है ; और	
झ	सरकार दोषियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई कर रही है?	उपरोक्त मापदण्डों के विरूद्ध जो प्लाट आबंटितधारी बिना किसी अनुमति से बैंकेट हॉल या व्यवसायिक गतिविधि चलाता है , उन प्लाट धारकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है और उन प्लोटों को सील भी किया जाता है, एवं सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित परिवर्तित राशि का 10 गुना तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ।

(के.डी. डोगरा)
विशेष आयुक्त उद्योग